सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ

सामान्यज्ञ लोक सेवक वह है जिसकी कोई विशेष पृष्ठभूमि नहीं होती हैं किंतु वह प्रशासनिक प्रक्रियाओं नियमों तथा विनियमों का अच्छा ज्ञान रखता है। उसे प्रशासन के किसी क्षेत्र में नियुक्त किया जा सकता है। वह प्रबंधक वर्ग का तथा प्राय: नियोजन, आयोजन, स्टाफ से जुड़े कार्य, निर्देशन, समन्वयन, रिपोर्टिंग और बजट से संबंधित कार्य निष्पादित करता है। इस प्रकार वह लोक सेवक जो नीति निर्धारित करता है, समन्वय स्थापित करता है तथा प्रशासन को नियंत्रित करता है, उसे सामान्यज्ञ या Generalist कहते हैं । भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आरबीजैन ने कहा है- ”अपनी व्यावसायिक क्षमताओं में एक सामान्यज्ञ लोक सेवक प्रबंधक के कौशल व तकनीक का स्वामी और एक प्रकार का राजनीतिज्ञ होता है। एक प्रबंधक के रूप में उस पर उसकी जिम्मेदारी काम पूरा करने की है और एक राजनीतिज्ञ के तौर पर उसका उत्तरदायित्व प्रशासन प्रणाली की सीमाओं में रहकर राज्य की जटिल सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर जनता के सोच की व्याख्या करना है।”

दूसरी ओर विशेषज्ञ लोक सेवक वह है जिसे प्रशासन के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता या कौशल प्राप्त हो । वह एक निपुण व्यावसायिक होता है। सामान्यज्ञ की तरह विशेषज्ञ हरफनमौला नहीं होता है। इंजीनियर, डॉक्टर कृषि विज्ञानी, मौसम विज्ञानी, शिक्षाविद और सांख्यिकीविद् आदि विशेषज्ञों के उदाहरण हैं। एक विशेषज्ञ, एक विशेष शाखा या क्षेत्र में गहरायी से विज्ञान या प्रौद्योगिकी के ज्ञान से लैस होता है। वह आम तौर पर अपने सीमित क्षेत्र में गहरायी से जांच करता है। विशेषज्ञ अपने काम की प्रकृति से अदूरदर्शी है। उनकी रुचि केवल विज्ञान या प्रौद्योगिकी के एक छोटे से क्षेत्र में है और वह लगातार उस क्षेत्र में गहरायी से जांच करते हैं। वह विज्ञान या प्रौद्योगिकी को व्यापक कोण से बिल्कुल नहीं देखते हैं। वह समस्याओं को अपने सीमित कोण से ही देख सकता है। एक सामान्यज्ञ के विपरीत, वह पूर्ण से अंश तक नीचे नहीं जा सकता। "विशेषज्ञ को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो कम और कम के बारे में अधिक से अधिक जानता है।"

● **सामान्यज्ञ सर्वोच्चता पक्ष में तर्क:**

I. सामान्यज्ञ अपनी क्षमता, योग्यता और व्यापक अनुभव के कारण उच्च प्रबंधन स्तर के

कार्यों के निष्पादन में विशेषज्ञों की तुलना में अधिक उपयुक्त हैं।

II. सचिवालय में कर्मचारियों के कार्यकाल की प्रणाली जिला या फील्ड स्तर के अनुभव की धारणा पर आधारित है जो सामान्यज्ञ प्रशासकों के पक्ष में जाती है।
III. प्रशासन के सभी स्तरों पर प्रबंधकीय कार्य करने के लिए सामान्यज्ञ लोक सेवक का होना आवश्यक है, क्योंकि प्रशासन ऐतिहासिक तौर पर 'क्षेत्र प्रशासन' अर्थात तालुक, जिला, संभाग आदि के सिद्धांत पर आधारित है।
IV. सामान्यज्ञ अनुभवहीन मंत्री और विशेषज्ञ के बीच, जनता और सरकार के बीच तथा दवाब समूहों और जनहित के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है।

V. विशेषज्ञ संकीर्ण और संकुचित विचार के होते हैं क्योंकि उनमें समुचित जानकारी का सर्वथा अभाव होता है। पॉल एच.एप्पलबी ने इस संदर्भ में कहा है कि "किसी भी तरह के विशेषज्ञकरण का मूल्य संकीर्णवाद है"। दूसरी और सामान्यज्ञ का दृष्टिकोण व्यापक और मान्यता उदार होती है

● **विशेषज्ञ सर्वोच्चता के पक्ष में तर्क:**

I. नीति निर्धारण से जुड़े सभी पदों के लिए सामान्यज्ञ उपर्युक्त नहीं है क्योंकि उनमें व्यावसायिकता तथा पर्याप्त जानकारी का अभाव होता है।

II. अनुभवहीन सामान्यज्ञ विशेषज्ञों द्वारा प्रेषित प्रस्तावों की तकनीकी जटिलता को नहीं समझ सकते हैं। कहावत है कि IAS अधिकारी "हरफन मौला तो हैं किंतु माहिर किसी में नहीं।"

III. सामान्यत लोक सेवा का गठन, 19वीं सदी में इंग्लैंड और भारत में विकसित "बुद्धिमान नौसिखिया" के सिद्धांत पर आधारित था; परंतु यह वर्तमान के लिए ठीक नहीं है। आज प्रशासनिक कार्य अधिक जटिल तकनीकी और विषय प्रधान हो गया है।

IV. वर्तमान ढाँचे में मंत्री विशेषज्ञों की सलाह और विशेष ज्ञान का लाभ लेने से वंचित हैं।

V. सामान्यज्ञों द्वारा तैयार नीतियाँ वास्तविकता से परे हैं क्योंकि वे उन समस्याओं से अनभिज्ञ हैं जिनका सामना इन नीतियों को कार्यान्वित करते समय विशेषज्ञों को करना

पड़ता है।

● भारत में विवाद की पृष्ठभूमि:

सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ इन दो श्रेणियों के द्विभाजन की उत्पति ब्रिटिश नॉर्थकोट ट्रेवलियान समिति की रिपोर्ट 1854 में मिलती है। इस समिति ने ब्रिटिश प्रशासनिक वर्ग के सदस्यों के लिए उच्च पदों तथा तकनीकी (विशेषज्ञ) सेवाओं के लिए अधीनस्थ पदों की सिफारिश की थी। इस समिति का प्रभाव भारतीय सिविल सेवा से संबद्ध मैकाले समिति की रिपोर्ट 1854 पर भी पड़ा था जिसने भारत में भी वही पद स्थिति रखने की सिफारिश की। इस प्रकार ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के दौरान भारत में प्रशासनिक तंत्र को इस प्रकार ढाला गया था कि सामान्यज्ञ सेवाओं विशेषतः ICS के सदस्यों को सर्वोच्च पद प्राप्त हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इस प्रशासनिक रूप में कोई महत्त्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है। ब्रिटेन में, फुल्टन समिति की रिपोर्ट 1968 में बदली परिस्थितियों में इस मामले की जाँच तथा उन सिफारिशों का उल्लेख है जिसके आधार पर समिति ने विशेषज्ञों को बेहतर दर्जा प्रदान करने और उनकी भूमिका में वृद्धि करने के साथ-साथ उच्च सिविल सेवा के व्यावसायीकरण की सिफारिश की थी।
इसके बावजूद ब्रिटेन में सामान्यज्ञ अब भी सर्वोच्च पद पर बने हुए हैं किंतु विशेषज्ञों के दर्जे में थोड़ा सुधार जरूर आया है। इसी प्रकार भारत में भी द्वितीय वेतन आयोग (1957-1959) संसदीय प्राक्कलन समिति और प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) ने विशेषज्ञ श्रेणी के सदस्यों के दर्जे और स्थिति में सुधार लाने की सिफारिश की थी पर स्थिति बदली नहीं है तथा थोड़े-बहुत बदलाव के साथ पुरानी प्रणाली ही कायम है।

● भारतीय सिविल सेवाओं को दो वर्गों में बाँटा गया है; तकनीकी सेवाएँ और गैर-तकनीकी सेवाएँ। तकनीकी सेवाएँ वे सेवाएं हैं जिसके लिए अभ्यर्थियों की भर्ती व्यावसायिक और विशेष योग्यता के आधार पर की जाती है। इन सेवाओं में शामिल हैं- भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकीय सेवा, भारतीय वन सेवा, केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवा, केंद्रीय विधिक सेवा, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा, भारतीय मौसम विज्ञान सेवा आदि । इन तकनीकी सेवाओं को 'विशेषज्ञ सेवा' तथा इन सेवाओं के सदस्यों को 'विशेषज्ञ' कहा जाता है।

दूसरी और, गैर-तकनीकी सेवाएँ वे सेवाएँ हैं जिनमें सामान्य शैक्षिक योग्यता के आधार पर भर्ती की जाती है। ये सेवाएँ उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हैं जो न्यूनतम अपेक्षित शैक्षिक योग्यता अर्थात विश्वविद्यालय की उपाधि धारण किए हों।
इन सेवाओं में शामिल हैं- IAS, IPS, IRS, IFS भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा,

भारतीय डाक सेवा, केंद्रीय सचिवालय सेवा आदि। गैर-तकनीकी श्रेणी की इन सेवाओं को भी दो उप श्रेणियों में बाँटा जा सकता है- कार्यपरक सेवा और सामान्य प्रयोजन की सेवा। कार्यपरक सेवाओं के सदस्य जीवनपर्यंत प्रशासन के उस विशिष्ट क्षेत्र में ही कार्य करते हैं जिसके लिए उनकी नियुक्ति हुई है। समय के साथ ये सदस्य कार्य अनुभव और नियमित प्रशिक्षण के आधार पर बेहतर ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। कार्यपरक सेवाओं में IAS को छोड़कर गैर-तकनीकी श्रेणी की सभी सेवाएँ शामिल हैं। सामान्य प्रायोजन की सेवा की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर की एकमात्र सेवा IAS है। IAS अधिकारी प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों प्रशासनिक पदक्रमानुसार सर्वोच्च पद धारण करते हैं। IAS के अधिकारियों के लिए कोई कार्यपरक क्षेत्र निर्धारित नहीं है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि विशेषज्ञ वर्ग में तकनीकी सेवाओं और गैर-तकनीकी कार्यपरक सेवाओं के सदस्य आते हैं और सामान्य प्रायोजन वर्ग में केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य आते हैं।

प्रशासन में सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ की भूमिका पर विवाद उतना ही पुराना है जितना कि प्रशासन।सामान्यज्ञ प्रशासक को ब्रिटिश विरासत के रूप में माना जाता है, जो उदार शिक्षा से लैस कुलीन परिवारों के युवकों को नियुक्त करते थे, जो उनके शाही शासन को पूरे दिल से समर्थन देने में मदद कर सकते थे।

भारतीय सिविल सेवा से संबंधित युवा ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे दूर के कॉमरेड के संरक्षक थे। उन्हें निरंकुश होने और अपने प्रतिष्ठित पदों की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया था।

ब्रिटिश काल के ICS कैडर को स्वतंत्र भारत में IAS द्वारा सफल बनाया गया है। इन अधिकारियों के नए कैडर को ICS के उत्तराधिकारी के रूप में नहीं देखा गया था। उन्हें राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और अलग-अलग क्षेत्रीय खींचतान को बेअसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए थी। यह योजना बनाई गई थी कि ये IAS अधिकारी जिलों से राज्यों की राजधानियों में, वहां से केंद्रीय सचिवालय जाएंगे और फिर वापस आएंगे। शुरू से ही यह तय किया गया था कि किसी विशेष राज्य कैडर के ऐसे कम से कम आधे अधिकारी दूसरे राज्यों के हों।यह समस्याओं के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण से बचने और पक्षपात से दूर रहने के लिए किया गया था। ये योजनाएँ काफी प्रशंसनीय थी। फिर भी उन्होंने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास के युग की शुरुआत के साथ सरकारी गतिविधियों में तेजी से और बहु-दिशात्मक विस्तार पर ध्यान नहीं दिया।

विकासात्मक गतिविधियों के कारण, सरकार को अपनी सेवा में टेक्नोक्रेट, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और डॉक्टरों आदि को शामिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन टेक्नोक्रेट्स ने देश के विकास प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया

लेकिन वे प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सके।

इसने इस विवाद को जन्म दिया है कि क्यों न टेक्नोक्रेट को प्रशासनिक सोपान में सर्वोच्च पदों पर रहने की अनुमति दी जाए? प्रशासनिक सेवाओं को विशेष महत्व क्यों दिया जाना चाहिए? ऐसा माना जाता है कि प्रशासन अब एक साधारण मामला नहीं है जिसे उदार शिक्षा से लैस व्यक्ति द्वारा संभाला जा सकता है।

आधुनिक जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए सेवा शर्तों के स्पष्ट विवरण की आवश्यकता होती है और इन लिखित संहिताओं, नियमों/विनियमों के बारे में एक विशेषज्ञ आधुनिक प्रशासन चलाने में एक सामान्यज्ञ के रूप में अच्छा कर सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में वरिष्ठ और शीर्ष प्रबंधन पदों के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ विवाद नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है।

● **सामान्यज्ञों और विशेषज्ञों** के बीच के विवाद की स्थिति निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हो सकती है:

A. सामान्यज्ञों का वेतन और उनकी सेवाशर्ते (पदोन्नति सहित) विशेषज्ञों की तुलना में बेहतर हैं। विशेषज्ञों की यह सबसे बड़ी वेदना है।
B. केंद्र और राज्य सरकार स्तर पर अधिकांश उच्च पद (नीति निर्धारण और सलाहकार स्तर के पद) IAS के सदस्यों के लिए सुरक्षित हैं; अर्थात इन उच्च पदों पर विशेषज्ञों की तैनाती नहीं की जाती है।
C. सचिवालय स्तर से नीचे के पदों पर आमतौर पर विशेषज्ञ होते हैं किंतु अधिकांश मामलों में सामान्यज्ञों को कार्यकारी विभागों के प्रमुख पद पर नियुक्त किया जाता है जैसे- कृषि निदेशक, मुख्य वन संरक्षक, स्वास्थ्य निदेशक आदि।
D. क्षेत्रीय स्तर पर संभागीय आयुक्त, कमांड एरिया विकास आयुक्त और अन्य प्रमुख पदों पर सामान्यज्ञों की तैनाती होती है ।
E. जिला स्तर पर जिला प्रशासन प्रमुख 'जिलाधीश' का पद भी सामान्यज्ञ लोक सेवक के लिए सुरक्षित है। जिला प्रशासन के अधीन कई तकनीकी विभाग हैं जिनके प्रमुख विशेषज्ञ लोक सेवक होते हैं। जिला परिषद् में CEO का पद भी IAS के हवाले है जो विशेषज्ञों के दल का नेतृत्व करता है ।
F. सामान्यज्ञ श्रेणी के अधिकारी विशेषज्ञ श्रेणी के अधिकारियों की तुलना में अपने राजनीतिक प्रभुओं के सानिध्य में अधिक रहते हैं।
G. सामान्यज्ञों की अंत: सांगठनिक गतिशीलता विशेषज्ञों की तुलना में अधिक है। IAS अधिकारी एक विभाग से दूसरे विभाग में या विभाग से लोक उद्यम या स्थायी शासन में

तैनात होता रहता है, किंतु विशेषज्ञ की तैनाती केवल संबद्ध विभागों और प्रशासनिक क्षेत्र तक ही सीमित रहती है।
H. सामान्यज्ञ श्रेणी के अधिकारियों की पदोन्नति विशेषज्ञ श्रेणी के अधिकारियों की तुलना में अधिक और शीघ्र होती है।
I. विशेषज्ञों के कार्य निष्पादन का आकलन प्रबंधकुशल IAS अधिकारियों द्वारा ही किया जाता है।
J. विशेषज्ञों के विचारों व प्रस्तावों तथा उनकी सलाहों पर IAS अधिकारी ध्यान नहीं देते क्योंकि वे विशेषज्ञों को अपने अधीन मानते हैं।
सामान्यज्ञों और विशेषज्ञों के बीच विवाद के उपर्युक्त कारणों से विशेषज्ञों में असंतोष की भावना व्याप्त हुई है जिसके फलस्वरूप उनके मनोबल और कार्यकुशलता पर प्रतिकूल पड़ा है।

● स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत सरकार ने सामान्यज्ञ -विशेषज्ञ विवाद को सुलझाने के लिए अब तक निम्नलिखित कदम उठाये हैं:

A. भारत सरकार ने 1948 में केन्द्रीय सचिवालय सेवा का गठन किया। इसके फलस्वरूप स्थायी सचिवालय अधिकारियों के एक पृथक संवर्ग का उदय हुआ।
B. सरकार ने 1957 में केन्द्रीय प्रशासनिक पूल की स्थापना की ताकि केन्द्रीय सचिवालय में उच्चतर पदों पर नियुक्तियाँ की जा सकें।
C. 1966 में भारतीय वन सेवा का गठन किया गया जो कि एक विशेषज्ञ अखिल भारतीय सेवा है।
D. 1961 में भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा का गठन हुआ और ये दोनों सेवाएं भी विशेषज्ञ केन्द्रीय सेवाएँ थी।
E. सरकार द्वारा सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव जैसे वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति की गयी है।
F. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के निदेशक मंडलों में विशेषज्ञों को प्रवेश दिया गया है।
G. योजना आयोग/नीति आयोग के अधिकांश पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति की गयी है।

● **फुल्टन कमेटी की सिफ़ारिशें:**

ब्रिटेन में लोक सेवा पर गठित फुल्टन समिति (1966-68) ने लोक सेवा के व्यवसायीकरण और तर्क संगतिकरण की सिफारिश की थी। इसने प्रशासकों को

सामान्यज्ञ के रूप में सम्बोधित किया और निम्न प्रेक्षण किए।
I. आज के लोकसेवकों को राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी समस्याओं से निबटने के लिए सुसज्जित होना चाहिए। उन्हें नये ज्ञान की तीव्र वृद्धि के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए और नयी तकनीकें अर्जित करके उनका अनुप्रयोग करना चाहिए। लोक सेवा में गैर-पेशेवर लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस सेवा में अनिवार्यत: पेशेवर महिलाओं और पुरुषों को शामिल किया जाना चाहिए।II. हमारा लक्ष्य प्रशासकों द्वारा विशेषज्ञों को या विशेषज्ञों द्वारा प्रशासकों को प्रतिस्थापित करना नहीं है। उन्हें एक-दूसरे का अनुपूरक होना चाहिए। अपनी विषय सामग्री में प्रशिक्षित और अनुभवी प्रशासक एक विशेषज्ञ के साथ अधिक सार्थक सम्बन्धों की स्थापना करेगा और इस प्रकार सेवा में विशेषज्ञ और प्रशासक दोनों का सर्वोत्तम योगदान प्राप्त होगा।

● प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) का दृष्टिकोण:

प्रशासनिक सुधार आयोग ने कार्मिक प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट में सामान्यवादी बनाम विशेषज्ञ की समस्या का मूल्यांकन किया। इसने सरकार की भूमिका में बदलाव की आवश्यकता को महसूस करते हुए उच्च प्रशासन में विभिन्न प्रकार के कौशल को शामिल करने का आह्वान किया।

=> आवश्यक योग्यता और योग्यता रखने वाले कर्मियों के साथ सलाह कर नीतिगत पदों को भरने की एक तर्कसंगत प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है।
=> वरिष्ठ प्रबंधन पदों का चयन सभी प्रासंगिक स्रोतों से किया जा सकता है- सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ। सभी संवर्गों में विशेष रूप से उन लोगों में प्रतिभा की खोज और विकास करने की आवश्यकता है, जिन्हें अब तक किसी भी महत्वपूर्ण स्तर तक उच्च प्रशासन में शामिल नहीं किया गया है।

=> एक तर्कसंगत वेतन संरचना को अपनाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक नौकरी में वास्तविक जिम्मेदारियों को निभाया जा सके।

=> पूरे कार्मिक प्रणाली में मनोबल को मजबूत करने के लिए, योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर सिविल सेवा में उच्च पदों पर जाने के लिए निम्न रैंकों में प्रतिभा के लिए अभी से कहीं अधिक गुंजाइश पैदा करने की आवश्यकता है।

=> ARC ने निम्न पदों को चिन्हित किया है
• क्षेत्र में पद
• मुख्यालय में पद

● **निष्कर्ष:** यदि लोगों की खुशी और कल्याण के लिए एक अच्छा प्रशासन अनिवार्य है, तो एक प्रभावी प्रशासन देश की ताकत और औचित्य के लिए आवश्यक है। इस दोहरे उद्देश्य के लिए विशेषज्ञों की समर्पित सेवाओं की आवश्यकता है जो सामान्यज्ञों से कम नहीं है। आयोग ने सुझाव दिया कि, "सामान्यज्ञ को वरीयता ... उन लोगों को वरीयता देनी चाहिए जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में योग्यता हासिल कर ली है।" केंद्र और विभिन्न राज्यों में उच्च प्रशासनिक पदों पर विशेषज्ञों को शामिल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यूजीसी, योजना आयोग, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग जैसे वैज्ञानिकों और पेशेवरों द्वारा सचिवों और अध्यक्षों के रूप में प्रमुखों की क्षमता में नियंत्रित किया जा रहा है। इसी तरह रेलवे बोर्ड के सदस्य जो संचालन विभाग के प्रमुख होते हैं, रेल मंत्रालय में पदेन सचिव होते हैं।

प्रशासनिक सुधार आयोग और संविधान समीक्षा समिति द्वारा प्रदत्त सुझाव स्वागतयोग्य है।ARC & CRC ने इस बीमारी का सही निदान किया है। हमें लगता है कि सामान्यज्ञ पर बहुत अधिक निर्भरता प्रशासनिक दक्षता के लिए हानिकारक है यह आम लोगों के हितों के लिए घातक है। शीर्ष सरकारी सेवाओं में विशेषज्ञों और तकनीकी कर्मियों को शामिल करने की सख्त जरूरत है। सामान्यज्ञों और विशेषज्ञों के बीच कृत्रिम भेदभाव को समाप्त करने की आवश्यकता है और वेतनमान की असमानता समाप्त होने के लिए उपयुक्त है। दोनों के बीच सहयोग अधिक फलदायी और उत्पादक साबित होगा यदि यह श्रेष्ठता या हीनता की भावना के बजाय पारस्परिक सम्मान और एक-दूसरे के प्रति गहरे सम्मान पर आधारित हो पारस्परिक सम्मान और पारस्परिकता संभव है यदि अब तक उपेक्षित तकनीकी व्यक्ति को उचित दर्जा दिया गया है।

✍️डॉ. कुमार राकेश रंजन
सहायक प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान
एल.एन. डी. कॉलेज, मोतिहारी
पूर्वी चंपारण (बिहार)